भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] No. 394] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 310

DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

[N.C.T.D. No. 310

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 नवम्बर, 2017

सं. 26/2017- राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(37)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/705.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत आने वाली हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर प्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण राज्य कर में छूट प्रदान करते है।

यह अधिसूचना दिनांक 21 सितंबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव-VI (वित्त)

6569 DG/2017 (1)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 6th Novermber, 2017

No. 26/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3(37)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/705.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra state supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of India Ltd. from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017).

This notification shall come into force with effect from the 21st day of September, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)